न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—340/2015/223 (2015/00068)

1. जीया देवी पत्नि घीसालाल,
2. कैलाश देवी,
3. सीतादेवी,
4. सीमा देवी,

पुत्रियां घीसालाल, समस्त जाति महाजन, निवासी पीपलाज, तह0 केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मु0 सुगनी बैवा शिखरचंद (फौत) नाम तर्क
2. जीतमल पुत्र शिखरचंद,
3. मन मोहनी देवी पत्नि रामस्वरूप,
4. नौरतमल पुत्र रामस्वरूप
5. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप,
6. भागचंद पुत्र रामस्वरूप,
7. चेतन कुमार पुत्र रामस्वरूप,
8. मंजू पुत्री रामस्वरूप,
9. राजकुमारी पुत्री रामस्वरूप,
10. घीसीदेवी पुत्री रामस्वरूप,

समस्त जाति महाजन, निवासी कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 15.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 46/2010.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 .
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 की आराजी वाके ग्राम पीपलाज की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 181 में दर्ज आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

खसरा संख्या 979, 985, 986, 987, 1776 रकबा क्रमशः 0.40 है0, 0.45 है0, 0.01 है0, 0.33 है0, 0.67 है0 अवस्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण/अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पिता घीसालाल का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा कादेड़ा में रहन दर्ज है । उपरोक्त आराजी पूर्व जमाबंदी संवत् 2022 के खाता संख्या 202 व 204 में थी । मिश्रीलाल वल्द फून्दालाल कौम महाजन साकिन देह खातेदार बसरा जीतमल वल्द फून्दालाल, शंकरचंद, शि0का0मु0 दर्ज है । वादीगण रेस्पो0 फून्दालाल के वारिसान है तथा वर्तमान में वाद में वर्णित आराजियात से बिना किसी आदेश या दस्तावेज से हटा दिया गया है जबकि वादीगण विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से के खातेदार है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उनका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही उन्हें जबरन बेदखल करे एव ना ही आराजी को किसी अन्य को अन्तरण, हस्तातंरित करे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 को वादीगण का वाद डिक्री किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दस्तावेजात पर प्रदर्शित अंकित किये बिना एवं साक्ष्य को ग्राह्य नही कर सरसरी तौर पर प्रकरण को कैम्प कोर्ट में नियत कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल की है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्ष कैम्प कोर्ट पीपलाज में उपस्थित हुए तथा दोनों पक्षों की समझाईश की गई तथा प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा समझाईश पर अपनी असहमति प्रकट की गई थी । इस कारण उक्त वाद को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण नहीं कर सिविल प्रकिया संहिता के अनुसाद दावे का निस्तारण करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त वाद का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कर अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि उक्त वाद में अभी गवाह, बयान एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने है किन्तु अधी0न्याया0 ने पक्षकारों की अनुपस्थिति में ही बयान, साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्तनीय है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात से वादीगण का कोई संबंध नहीं है ना ही कब्जा काश्त रहा है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 8.5.2015 प्रार्थना पत्र संख्या 29/2010 अंतर्गत धारा 212 को निर्णित किया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की थी जिसमें दिनांक 15.7.2015 को उभयपक्ष को मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर पाबंद किया था । यदि अपीलांटस को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 की जानकारी होती तो निर्णय व डिक्री के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते । अपीलांटस एवं उनके अधिवक्ता अधी0न्याया0 के समक्ष निर्णय व डिक्री पारित करते समय उपस्थित नहीं थे जिससे तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात वादीगण/रेस्पो0 की पुश्तैनी आराजियात है । जमाबंदी संवत् 2022 में मिश्रीलाल वल्द फूंदालाल कौम महाजन के नाम दर्ज है । साथ ही जीतमल वल्द शिखरचंद शिकमी काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । तब से ही वाद वर्णित आराजियात पर वादीगण, प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे थे । संवत् 2041 में वर्किंग जमाबंदी बनाते समय राजस्व अधिकारियों ने सहवन से वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 13 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के नाम दर्ज कर दिया गया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्यायास0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 की आराजी वाके ग्राम पीपलाज की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 181 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 979, 985, 986, 987, 1776 रकबा क्रमशः 0.40 है0, 0.45 है0, 0.01 है0, 0.33 है0, 0.67 है0 अवस्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण/अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजियात पूर्व जमाबंदी संवत् 2022 के खाता संख्या 202 व 204 में थी जो मिश्रीलाल वल्द फून्दालाल कौम महाजन साकिन देहं खातेदार बसरा जीतमल वल्द फून्दालाल, शंकरचंद दर्ज है । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 फून्दालाल के वारिसान है तथा वर्तमान में वाद में वर्णित आराजियात से बिना किसी आदेश या दस्तावेज के वादीगण का नाम हटा दिया गया जबकि वादीगण विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है । उक्त वाद अधी0न्याया0 के समक्ष पेश होने पर अधी0न्याया0 ने जरिये तलबी प्रतिवादीगण/अपीलांटस को तलब किये जाने के आदेश पारित किये । दिनांक 11.8.2010 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सूर्यकांत दाधीच, अधिवक्ता ने उपस्थिति दी । तत्पश्चात् दिनांक 23.2.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की और से जवाब पेश किया गया तत्पश्चात् पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के जवाब में विचाराधीन रही । प्रतिवादी संख्या 5 राज्य सरकार ने राजहित नहीं होने का कथन किया इसके उपरांत पत्रावली शेष प्रतिवादीगण संख्या 6 से 13 के जवाब में विचाराधीन रही किन्तु इनके द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से दिनांक 20.5.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 6 से 13 का जवाब बंद कर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने वादपत्र

एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में दिनांक 16.2.2015 को कुल तीन तनकियात कायम की जाकर पत्रावली शहादत वादी हेतु नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 15.6.2015 को पत्रावली कैम्प पीपलाज में रखकर वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनकर वादीगण का वाद डिक्री किया है। अपीलांटस का यह कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद में गवाह, बयान एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने शेष थे तथा तनकियात कायम हो चुकी थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत है । हम विद्वान वकील अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि जब अधी0न्याया0 द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई थी तो अधी0न्याया0 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करे । उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि अधी0न्याया0 में ताफैसला मूल वाद मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर